परिशिष्ट–7
(पृष्ठ 1/2)

STRUCTURAL SAFETY AND NATURAL HAZARD PROTECTION OF BUILDINGS
(उपविधि संख्या–13.1)

Requirements specified in the following Indian Standards, Codes and guidelines and other documents needs to be observed for structural safety and natural hazard protection of buildings etc.:

a) **For General Structural Safety**

1. IS : 1905 –1987 "Code of Practice for Structural use of unreinforced Masonry (third revision)" Indian Standards Institution, March 1981
2. IS : 1904 –1978 "Code of Practice for Structural Safety of Buildings : Foundations" Indian Standards Institution .....
3. IS : 456 –2000 "Code of Practice for Plain and Reinforced Concrete" Indian Standards Institution, September 2000
4. IS : 800 –1984 "Code of Practice for general Construction in Steel" Indian Standards Institution, February, 1985
5. IS : 883 –1966 "Code of Practice for Design of Structural Timber in Building", Indian Standards Institution, March, 1967
6. **IS 875 (Part 2) : 1987 "Code of Practice for design loads (other then earthquake) for building and structures : Part 2 Imposed loads (Second revision)**
7. **IS 875 (Part 3) : 1988 "Code of Practice for design loads (other then earthquake) for building and structures : Part 3 Wind loads (Second revision)**
8. **IS 875 (Part 5) : 1987 "Code of Practice for design loads (other then earthquake) for building and structures : Part 5 Special loads and load combinations (Second revision)**

Besides, any other relevant Indian Standards will need to be referred to.

b) **For Earthquake Protection**

6. IS : 1893 (Part 1) "Criteria for Earthquake Resistant Design of Structures : General Provisions and Buildings Part 1(fifth Revision)"
7. IS : 13920-1993 "Ductile Detailing of Reinforced Concrete Structures subjected to Seismic forces- Code of Practice" November 1993
8. IS : 4326-1993 "Code of Practice for Earthquake Resistant Design and Construction of Buildings (Second Revision)" October 1993
9. IS : 13828-1993 " Improving Earthquake Resistance of Low Strength Masonary Buildings - Guidelines " August 1993
10. IS : 13827-1993 " Improving Earthquake Resistance of Earthen Buildings - Guidelines " October 1993
11. IS : 13935-1993 " Repair and Seismic Strengthening of Buildings - Guidelines" November 1993

HORIZON DWELLINGS PVT. LTD.
Authorised Signatory

12. Improving Earthquake Resistance of Buildings: Guidelines " by Expert Group, Government of India, Ministry of Urban Affairs & Employment, published by Building Materials and Technology Promotion Council, 1998
13. The National Building Code of India-2005

For location of the building in hazard prone area of earthquakes, cyclone or wind storms and floods, reference may be made to the following:

14. "Vulnerability Atlas of India", by Expert Group, Government of India, Ministry of Urban Affairs & Employment, published by Building Materials and Technology Promotion Council, 1997

Note:

1. As and when anyone of the above referred standards and documents is revised, the design and construction of buildings thereafter must satisfy the latest version on approval of the building plans by the concerned local authority.

HORIZON DWELLINGS PVT. LTD.
Authorised Signatory

परिशिष्ट–8
(पृष्ठ–1/2)

BUILDING INFORMATION SCHEDULE
(उपविधि संख्या–13.2)

1. Building Address — Plot No. 9 2 10 Scheme Colony VRINDAVAN YOJNA Town LUCKNOW District LUCKNOW (U.P.)
2. Building function & Locations
   - 2.1 Use — Institutional / Commercial / Industrial / RESIDENTIAL
   - 2.2 Importance — Ordinary / Important / Hazardous * IS:1893
   - 2.3 Seismic Zone (Design Intensity Used) — V(IX) / IV(VIII) / III(VII) / II(VI) IS:1893
3. Design EQ Factor — α= .. β= γ= αh= IS:1893
4. Foundation
   - 4.1 Soil type at site (Note 2) — Rock/stiff/Medium/Soft / Liquefiable / Expensive (B.C.) IS:1904
   - 4.2 Type of Foundation — Strip / Indiv.Col / Footings/Raft / Bearing Piles / Friction Piles IS:1893
5. Load Bearing Wall Buildings
   - 5.1 Building Category — A(α<=0.05) B(α>=.05 to <.06) C(αh.06 to <.08) D(αh .08 to <0.12) E(αh >0.12) IS:4326
   - 5.2 Bearing Walls — Brick / Stone / Solid Block / Hollow Block / Adobe
   - 5.3 Mortar (note 4) — C:S=1 / C:L:S =1 / L:S=1 / Clay Mud *
   - 5.4 Floors — R.C.slabs / Stone slabs on joists / Prefab flooring elements *
   - 5.5 Roof structure — Flat like floors/pitched / Trussed/ Rattered / A Frame/ Slopping / R.C. Slab
   - 5.6 Roof covering — CGI Sheeting / AC sheeting / Clay tiles/Slate / Wood shingle *
   - 5.7 Opening in walls — Control used on sizes ? / Control used on location ? / Strengthening around ? IS:4326 — Yes/No/NA / Yes/No/NA / Yes/No/NA
   - 5.8 Bands Provided — Plinth Band / Lintel Band / Roof/Eave Band / Gable Band / Ridge Band -do-
   - 5.9 Vertical Bars — At corners of rooms / At jambs of openings -do-
   - 5.10 Stiffening of Prefab Floors/Roofs — Diagonal planks and connectors / Peripheral band and connectors IS:4326

HORIZON DWELLINGS PVT. LTD.
Authorised Signatory

6. Steel R.C. frame buildings
   - 6.1 Building Shape — Both axes roughly symmetrical / One axis roughly symmetrical / Unsymmetrical / Torsion considered
   - 6.2 Infills partitions — Are in plane stiffer / Stiff / Yes / No in Plane stiffness considered / Yes No IS:1893, IS:4326
   - 6.3 Ductile Detailing of RC frames — Beams / Columns / Beam-column joint / Shear Walls* IS:13920
   - 6.4 Ductile Detailing of Steel Frames — Beams / Columns / Beam Column Joint / SP6(6)

Notes:

1. Encircle the applicable Data point or insert information.
2. Soil: N>30:Medium N=10-30 Soft,N<10:Liquefiable,poorly graded Sands with N<15 under Water Table (see Note 5 of Table 1 in IS:1893) Where N=Standard Penetration (IS:2131-1981)
3. * Means any other, specify
4. C: Cement, S= Sand, L = Lime

The above information is factually correct

HORIZON DWELLINGS PVT. LTD.
Authorised Signatory
Name (Block)

Signature of the Architect who will Supervise the construction
Name (Block) Address
Legible Seal (with address)

Signature of the Architect who had Supervised the construction
Name (Block)
COA Reg. No.
Legible Seal (with address)

CERTIFICATE
(उपविधि संख्या–13.2)

(The certificate to be submitted with the application for building permission along with the building drawings and Building Information Schedule).

1. Certified that the building plans submitted for approval also satisfy the safety requirements as stipulated in the Indian Standard. Codes, guidelines and documents specified in the Annexure-I of the Building Bye-Laws regarding earthquake safety awareness and the information given in the attached Building Information Schedule, is factually correct to the best of my knowledge and understanding.
2. It is also certified that the structural design including safety from natural hazards including Earth Quake has been prepared by duly qualified graduate Civil Engineer along with Post Graduate Diploma or Degree in Structural Engineering from a recognized University.
3. Location/Address of Building
   - Plot No. 9 2 10
   - Scheme/Colony VRINDAVAN YOJNA
   - Town LUCKNOW
   - District LUCKNOW
4. Particulars of Building
   1. Ground Coverage (sq mt)
   2. Total covered area(sq mt)
   3. Maximum Numbers of Floors above ground STILT+7 (8) FLOORS

HORIZON DWELLINGS PVT. LTD.
Authorised Signatory
Name (Block) ..... (Block) ..... Address .....

Signature of the Owner with date

Signature of the Structural Engineer who had prepared the Design with date
Name
Legible Seal (with address)

Signature of the Architect who had Prepared the design with date
Name (Block)
COA Registration No.
Legible Seal (with address)

Signature of the Owner with date
HORIZON DWELLINGS PVT. LTD.
Authorised Signatory
Name (Block)
Address

Signature of the Structural Engineer who had prepared the Design with date
Name (Block) SHARAD GUPTA
Legible Seal (With address)

Signature of the Architect who had Prepared the design with date
Name (Block)
COA Registration No.
Legible Seal (with address)

(Attach the copies given in each building plan to be submitted for sanction)
(उपविधि संख्या–13.2)

I/We hereby declare that the structural and foundation design of the building for which map and plans are submitted for approval satisfy the safety requirements as stipulated in the relevant India National Building Code, guide lines and documents specified in Annexure-I of Bye-Laws

Signature of Owner with date

Signature of the Structural Engineer who had prepared the Design with date
Name (Block)
Address
Legible Seal (With address)

Signature of the Architect who had Prepared the design with date
Name (Block)
COA Registration No.
Legible Seal (with address)

स्वीकृत
सं0 1053 दि0 25-4-16
दि0 25-4-16 से 24-4-2021 तक
विशेष कार्यधिकारी
वास्तुविद नियोजक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ

भूकम्प अवरोधी निर्माण हेतु अपेक्षायें : शर्तें
शासनादेश संख्या 570/9–आ–1–2001–भूकम्परोधी/2001(आ0व0) दिनांक 03, फरवरी 2001 में उल्लिखित मानचित्र स्वीकृति की शर्तें–

- किया जाने वाला निर्माण सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेषनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुरूप अर्हस्तुविद नियोजक/ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एवं वास्तुविद द्वारा प्रमाणित डिजाईन के अनुसार ही होगा।
- निर्माण का सुपरवीजन भी अर्ह वास्तुविद की देखरेख तथा उसके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा ताकि सुरक्षा की अपेक्षित अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिष्चित रहे।
- निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना भवन अथवा उसके अंष को कोई उपयोग नहीं किया जायेगा न करने दिया जायेगा।

शासनादेश संख्या 772/9–आ–1–2001–भूकम्परोधी/2001(आ0व0) दिनांक 13 फरवरी 2001 में उल्लिखित मानचित्र स्वीकृति की शर्तें:–

1. भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो आवद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में यह विषेष रूप यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियरकर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थायें करने के लिए जो डिजाईन अनुमोदित की गयी हैं उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
2. भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण सामग्रियों, स्टील,स्टीनग्रिट,ईटें, कोर्सरीण्ड, एवं मोर्टार तथा कंक्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लाई जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवष्यक है। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगषाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विषेषज्ञ स्थल पर कार्यो का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।
3. निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी निरीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। क्रेता/आवंटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बंध में समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिष्चित की जायेगी।
4. यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विषेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूकवादें हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन निर्माणकर्ता व उसके सहायक किमिनल विथिलता की परिधि में माने जायेंगे और तद्नुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
5. कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्कीटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बंधित कार्यस्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे:

   क– नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
   ख– अनुमोदित प्रयोगषाला/संस्थान द्वारा की गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधानों सम्बंधी संस्तुतियाँ।
   ग– अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त, नींव स्ट्रक्चरल गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बंधित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल्स।
   घ– अधिकृत आर्कीटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग्स जिनमें सेक्षन एवं एलीवेषन तथा सर्विसेज डिटेल्स इत्यादि सम्मिलित रहेंगे।
   ङ– भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी.एन.पी. का विवरण।
   छ– साईट इंजीनियर इन्सपेक्षन रिपोर्ट रजिस्टर।
   ज– सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बंधित रजिस्टर।

शासनादेश सं0 375/9–आ1–भूकम्परोधी/2001 (आ0अनु0) आवास अनुभाग–1 दि0 20जुलाई 2001 में भूकम्परोधी व्यवस्था करने हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स तथा निदेषक सिविल इंजीनियर्स की निर्धारित अर्हता के अनुसार उक्त कार्य किये जा सकेंगे।

मानचित्र इस उपलब्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि निर्माण पूर्ण होने पर पुनः संगत इमारत में की गयी शमन व्यवस्थाओं को संतोषप्रद पाये जाने के उपरान्त परिषद द्वारा पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर ही मानचित्र अनुमोदन को अंकित माना जायेगा।

वास्तुविद नियोजक/विशेषकार्याधिकारी

स्वीकृत
सं0 1053 दि0 25-4-16
दि0 25-4-16 से 24-4-2021 तक
विशेष कार्यधिकारी
वास्तुविद नियोजक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ

अनुमोदित मानचित्र निर्गत की शर्तें :

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. भूखण्ड में कम योग्य एफएआरए के सापेक्ष सीवेज निस्तारण हेतु एसटीपीयीए की व्यवस्था व विद्युत आपूर्ति हेतु स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर व जलापूर्ति हेतु बोर वेल/ट्यूब वेल का निर्माण सक्षम स्तर से अनुमति के उपरान्त स्वयं सुनिश्चित करेंगे।
3. वर्तमान में स्थल पर विद्यमान तकनीकी समिति की बैठक दि0 16–3–2016 के अनुपालन के कम में स्थल पर निर्माण किया जाएगा।
4. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। (दिनांक –4–2016 से –4–2021 तक)।
5. स्वीकृत मानचित्र साइट रेरा से अंकित शर्तोंमानों सहित मान्य होगा।
6. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल 67355.00 वर्गमीटर (इसमें बेसमेन्ट+भूतल+स्टिल्ट+14 तल) में से 21223.10 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल (समस्त बेसमेन्ट+भूतल/स्टिल्ट) हेतु 12158.72 वर्गमीटर के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। उक्त बेसमेन्ट पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ.ए.आर. में आगणित नहीं किया गया है। अतः पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान में निर्माण की सुनिश्चितता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल उक्त बेसमेन्ट एवं उसके ऊपर प्रारम्भ फ्लोर के निर्माण की अनुमति प्रथम चरण में प्रदान की जा रही है।(स्वीकृत मानचित्र संलग्न है)
7. प्रथम चरण में स्थल पर उक्त बेसमेन्ट एवं उसके ऊपर प्रारम्भ फ्लोर का निर्माण, स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त (समाप्तित समय के पूर्ति के पश्चात) ही तय अनुमति तलों पर निर्माण क्षेत्रफल 46139.93 वर्गमीटर हेतु स्वीकृति एफएआरए सक्षम स्तर से अनुमति उपरान्त प्रदान की जा सकेगी।
8. वर्तमान में भूखण्ड पर नियमानुसार एफएआरए 3.75 के अर्न्तगत कुल 480 इकाईयों निर्मित किये जाने हेतु अनुमोदन समिति द्वारा बिन्दु सं0–32 के अर्न्तगत प्रदान की गयी है।
9. उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0–3188/8–1–13–80 विविध/2010 दिनांक 05–12–2013 के अनुसार दुर्बल आय व अल्प आय वर्ग हेतु कुल प्रस्तावित इकाईयों का 10–10 प्रतिशत के सापेक्ष सेल्टर फीस आगणित की गयी है जिसका भुगतान विकासकर्ता द्वारा परिषद द्वारा ने किया गया है।
10. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिकारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–12,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–12 से उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध,वृन्दावन योजना लखनऊ द्वारा स्थल पर निर्माण उसी दशा में अनुमन्य किया जायेगा जबकि सम्बंधित द्वारा प्रस्तगत भूमि/कब्जा योग्य एफएआरए के सापेक्ष परिषद की देय किश्तों का भुगतान समयानुसार अद्यतन किया जा रहा हो। यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
11. उप निदेशक, उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ के पत्रांक संख्या–1843/एफएस0–15 दिनांक 5–10–2015 के द्वारा प्रदत्त प्रोविजनल अग्नामति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है तथा भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय उपनिदेशक उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ/मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद से पुनः अन्तिम अग्नामति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
12. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले बोर्ड लगा कर प्रदर्शित किया जाना होगा ताकि जन साधारण के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
13. आवंटी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञाप्ति तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। निर्धारित शुल्क(टोकन) में निर्माण कार्य प्रगतिमान सभी पाये जाने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
14. शासनादेश के अनुसार ग्राम से कम 50 एम/वैकेंट की दर से सुधारीकरण करना अनिवार्य होगा।
15. शासनादेश के अनुसार भवनकार हार्वेस्टिंग पद्धति का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570–9–आ–12001(भूकम्पपरोधी/2001/(आ0व0व0) दिनांक–3.2.2001 एवं सं0 3751/9–आ0–भूकम्परोधी/2001/(आ0व0व) दिनांक 20.7.2001 के अनुपालन शर्तों, एवं मानचित्र के पृष्ठ भाग पर घ्यस्त की गयी है। जिनका अनुपालन प्रत्येक दशा में करना होगा।
17. आवंटी द्वारा भारतीय विमान पत्तनम प्राधिकरण से पत्रांक 3059–62 दिनांक 20–7–2015 द्वारा एनओसी निर्गत है जिसके अनुसार स्थल पर क्रियान्वयन करना होगा।
18. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वांछित अग्नामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसे समिति के निर्णयानुसार विलम्बतम 06 माह के अन्दर सम्पत्ति विभाग से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त अवधि में वांछित अग्नामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुमनी तलों का निर्माण कार्य किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में किया गया निर्माण अकवीकृत निर्माण मानते हुए स्वीकृत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।
19. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
20. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–12,लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
21. प्रस्तगत भूमि पर निर्माण के पश्चात् भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 परिशिष्ट–8 प्रपत्र–ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
22. शासनादेश के अनुसार प्रस्तगत भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण के सापेक्ष उपकर के सम्बन्ध में श्रम आयुक्त, कार्यालय में आवेदित पंजीकरण प्रमाण पत्र/शासन सं0 G2A031 दिनांक 23–4–2016 कम में इस शर्त सहित निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी है कि आवंटी द्वारा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पास में भविष्य में सम्पन्न निर्माण के अनुसार उपकर जमा कराये जाने की दशा में ही स्थल पर निर्माण कार्य किया जायेगा। जिसका क्रियान्वयन तद्नुसार सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
24. उप आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबंध,वृन्दावन योजना लखनऊ के द्वारा पत्रांक 4123/एफएक्यू0 दिनांक 25–4–2016 द्वारा कब्जा योग्य एफएआरए शुल्क के सापेक्ष निष्पादित बन्धक पत्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसका अनुपालन सुनिश्चित करना है।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी